अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता (छूआछूत) की भावना समाप्त करने के उददेश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।

अत्याचार उत्पीड़न के शिकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सहायता हेतु रू0 15 हजार से रू0 2 लाख तक की आर्थिक सहायता तात्कालिक प्रभाव से दिये जाने की व्यवस्था है। बजट न उपलब्ध होने की दशा में टी0आर0–27 के माध्यम से धनराशि आहरित कर तात्कालिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2008–09 मे 11339 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में रू0 2050.65 लाख का बजट प्राविधान है।